

बिहार विधान सभा में प्राप्त शून्यकाल सूचना	
श्री दिनेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-21.02.2013 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना संख्या-05/2013 के संबंध में।	श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
शून्यकाल सूचना	उत्तर
“ दिनांक- 18.02.2013 को रात्रि 12 बजे से असामाजिक तत्वों द्वारा बरतल्ला शीश महल चौक, आरा में 22 दुकानों को आग लगाकर जला दिया गया, जिसमें एक करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हो गई। अतः सरकार उक्त अग्नि काण्ड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं दुकानदारों की मुआवजा दें।	अग्निकांड प्राकृतिक आपदा से आवासीय भवन क्षतिग्रस्त होने पर ही प्रभावित परिवार को नियमानुकूल अनुदान दिया जा सकता है। दुकानों या व्यावसायिक/औद्योगिक भवनों के लिए अनुदान का प्रावधान नहीं है। आपराधिक घटना में अग्निकांड होने की स्थिति में भी किसी प्रकार के अनुदान का प्रावधान नहीं है।

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग


ज्ञापांक-04 / वि०स०शू०का०-51 / 2013 / ..... / आ०प्र०, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-श्री हरेराम मुखिया, प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को उनके पत्रांक 484 दिनांक-02.04.2013 के क्रम में 03 (तीन) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(सच्चिदानन्द चौधरी)  
अवर सचिव

ज्ञापांक-04 / वि०स०शू०का०-51 / 2013 / .....<sup>2539</sup> / आ०प्र०, दिनांक-.....<sup>27/6/13</sup>

प्रतिलिपि-सुश्री कविता कुमारी, आई० टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव